(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-987/पीबीआर/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.04.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 270/94-95/निगरानी.

हरज्ञान पुत्र मनीराम
निवासी ग्राम डबका,
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. प्रभू पुत्र डमरू
2. खावू पुत्र डमरू
   निवासीगण ग्राम डबका,
   तह. व जिला ग्वालियर
3. आनंदी पत्नी गेंदालाल
4. रामनिवास पुत्र गेंदालाल
5. नारद पुत्र गेंदालाल
   समस्त निवासी ग्राम डबका,
   तह. व जिला ग्वालियर
6. बालकिशन पुत्र मंगल
   निवासी ग्राम सिरोल, मुरार, ग्वालियर
7. म.प्र. शासन द्वारा
   कलेक्टर, जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

श्री राजीव शर्मा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र. 7

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 13.04.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय में आवेदक के द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम डबका की भूमि सर्वे क्रमांक 551 मि. रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा पर गत 10 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। इस पुराने अतिक्रमण के आधार पर आवेदक ने इस भूमि को अपने हक में व्यवस्थापित कराने का निवेदन किया। इस आवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय ने प्रकरण क्र. 85/78-79/अ-19 में दिनांक 03.07.1979 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के रकबा 2 बीघा का आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन किया गया। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा निगरानी कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा दिनांक 21.07.1995 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर विधिवत जांच, स्थल निरीक्षण व पक्षकारों को सुनने के बाद निराकृत करने के लिए प्रत्यावर्तित किया गया। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.04.2005 को आदेश पारित कर अधीनस्थ कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय में व्यवस्थापन के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और अपील की म्याद समाप्त हो जाने के पश्चात् अनावेदक द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय द्वारा नियमों का पालन किये बगैर उक्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हक में किया गया है, इसको आधार मानते हुए कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा उक्त आवेदन पत्र को स्वमेव निगरानी में लेते हुए आवेदक को बगैर सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही आवेदक के हक में किये गये व्यवस्थापन निरस्त कर दिया।

(2) कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, उक्त आदेश आवेदक को बगैर सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया था और समक्ष में कोई सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का

अवसर प्रदान किये बगैर ही आवेदक के हक में 1995 में किये गये व्यवस्थापन आदेश 4 साल पश्चात् स्वमेव निगरानी में लिया जाकर जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश अवैध व शून्य है। माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी प्रकरण को एक वर्ष के पश्चात् स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है, इसके बावजूद भी कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की और निगरानी में यह मुद्दा उठाया कि कलेक्टर ग्वालियर के द्वारा जिस आवेदन पत्र को आधार मानकर निगरानी प्रस्तुत की गई थी। उक्त आवेदन पत्र समयावधि बाह्य प्रस्तुत किया गया था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया और समयावधि से बचने के लिए अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर के न्यायालय में एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रकरणों में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, तो समयावधि से बचने के आधार पर आवेदन पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की समयावधि 30 वर्ष थी, परंतु उनके द्वारा यह कार्यवाही 15-16 साल बाद की गई है, परंतु इस बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित न करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकी त्रुटि के आधार पर किसी भी पक्षकार को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानकर कि तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उक्त कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा नियमों व प्रक्रिया का पालन किया गया है, जो कि प्रस्तुत रिकॉर्ड के विपरीत है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा विधिवत आवेदक का कब्जा होने के आधार पर उक्त भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, जो कि व्यवस्थापन नियमों के अनुसार किये गये व्यवस्थापन आदेश को कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर आवेदक के हक में हुये व्यवस्थापन को निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में 16 साल बाद लिया जाकर पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया गया है। राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि लंबे समय पश्चात् समयावधि के बचने के उद्देश्य से किसी भी पक्षकार के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है। आवेदक द्वारा

16 साल पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके संबंध में कोई विवेचना किये बगैर कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय एवं कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश एकपक्षीय आदेश है। आवेदक द्वारा उठाये गये तर्कों की विवेचना किये बगैर ही कि आवेदक द्वारा उठाये गये तर्क क्यों माने जाने योग्य नहीं हैं तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते थे, उनको आधार मानकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 लगायत 6 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ अनावेदक क्र. 7 के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अत: उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित होगा।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया प्रश्नाधीन आदेश लगभग 16 साल बाद इस स्वमेव निगरानी में निरस्त किया गया है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग करने के विषय में किसी विशिष्ट श्रोत से किसी विशिष्ट जानकारी इस प्रकार की कार्यवाही करने के पुनरीक्षण प्राधिकारी के चुनाव को सीमित नहीं किया जा सकता है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत 1994 आर.एन. 61 एवं 1990 आर.एन. 77 प्रतिपादित किये गये हैं। इस प्रकार कलेक्टर द्वारा इस प्रकरण को स्वमेव निगरानी के रूप में दर्ज कर निराकृत करने में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं की गई। जहां तक स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की परिसीमा का प्रश्न है, इस संबंध में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही के लिए कालसीमा का कोई अवरोध नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही में आदेश का दिनांक पहले का है और भूमि बंटन का आवेदन उसके बाद की तारीख का है, जो तहसील न्यायालय की समस्त कार्यवाही को संदिग्ध बना देती है। अत: कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आलोच्य आदेश को निरस्त कर प्रकरण

प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर के उक्त आदेश की पुष्टि की गई है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

अत: उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2005 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर